राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.6(11) आयो./ग्रुप–1/2013पार्ट

जयपुर, दिनांकः 27 JAN 2017

कार्यालय आदेश

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 13(76) का/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 13.01.2016 के क्रम में सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति का विवरण 31 जनवरी तक संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अचल सम्पति विवरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं किये जाने से संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक विभाग द्वारा की जा सकती है।

अतः आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा एवं मूल्यांकन सेवा के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.01.2017 तक (दिनांक 1 जनवरी, 2017 की स्थिति में) अचल सम्पत्ति विवरण (दो प्रतियों में) आयोजना विभाग को प्रस्तुत करावें।

आज्ञा से

Sd-
संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

संतोषमाल-
सहायक शासन सचिव